सरल स्वभाव के धनी शासक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने जन सेवा की-अंकित मलिक

फरीदाबाद. 21 दिसंबर। सुनील कुमार जांगड़ा. ए एंड बी प्रॉपर्टी के निदेशक एवं वरिष्ठ समाजसेवी अंकित मलिक ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर दुख करते हुए कहा कि वह बहुत ही सरल स्वभाव के मिलनसार शासक के रूप में जन सेवा की और हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला के निधन पर प्रदेश में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत 20 से 22 दिसंबर 2024 तक पूरे प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा और 21 दिसंबर को एक दिन का अवकाश रहेगा।

उनका भाषण विरोधी पार्टियों के लोग भी दूर-दूर से सुनने के लिए उनके कार्यक्रम में आते थे। उस समय कई दिन तक लोग उनके भाषणों को दोहराते रहते हैं। उनकी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी यही प्रयास रहता था कि वे उन्हीं की भाषा, बोली और लहजे में लोगों से अपने आप को कनेक्ट करें।

अगली कड़ी में वरिष्ठ समाजसेवी अंकित मलिक ने कहा कि वे भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के पुत्र थे उन्होंने रिकॉर्ड पांच कार्यकालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

ओमेक्स सिटी हादसा बेहद दर्दनाक, सरकार जल्द राहत दे पीड़ित परिवारों को- बत्तरा

- ओमेक्स सिटी में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे विधायक भारत भूषण बत्तरा
- डीसी से फोन पर की बात कहा, प्रशासन तेजी से करें कार्यवाही, नियमों के तहत पीड़ितों को जल्द मिले मुआवजा

रोहतक 21 दिसंबर! विधायक भारत भूषण बत्तरा ओमेक्स सिटी फेज 2 के जिन सात फ्लैटों में आग लगी थी वहां पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घटना बहुत दुखदाई है और वह पीड़ित परिवार के दर्द को समझ सकते हैं। ओमेक्स सिटी फेज 2 पहुंचे विधायक भारत भूषण बत्तरा ने आज जले हुए फ्लैटों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से समझा कि रात को कैसे घटनाक्रम शुरू हुआ और कैसे एक के बाद एक फ्लैट में आग लगती चली गई! स्थानीय नागरिकों के अनुसार फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची और सिलेंडर विस्फोट के बाद आग बेकाबू हो गई! बत्तरा ने कहा कि यह अच्छी बात है कि कोई मानवीय क्षति नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है! उन्होंने हैरत जताई कि स्थानीय बिल्डर की तरफ से सुरक्षा के कोई उपाय वहां पर नहीं किए गए थे। यदि ऐसा होता तो शायद इतनी बड़ी हानि नहीं होती। बत्तरा ने स्थानीय उपायुक्त से फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम और उसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में तत्परता के साथ कार्य करें, जो भी कागजी कार्यवाही है उसे तुरंत निपटाए, और जल्द से जल्द सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा दिलवाया जाए! उन्होंने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि वह उनके दुख में शामिल हैं ! इस पूरे मामले में जहां भी उनकी आवश्यकता होगी वह साथ रहेंगे। बत्तरा ने कहा कि इस मामले को यदि विधानसभा में भी उठाना पड़ा तो वह उठाएंगे !

जिला पलवल में प्रशासन गांव की ओर अभियान का 24 तक किया जा रहा है आयोजन -डीसी

डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने अभियान के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

पलवल। ग्रामीण विकास पर फोकस करते हुए जिला पलवल में 19 से 24 दिसंबर तक 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास पर केंद्रित इस अभियान के तहत लोगों को बेहतर ढंग से प्रशासनिक सेवाएं मुहैया कराए जाने पर फोकस है। इस अभियान में प्रशासन प्रभावी रूप से अपना दायित्व निभा रहा है। जिला में इस अभियान के सफल आयोजन के लिए डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिले में सोमवार 23 दिसंबर को जिला स्तरीय नवाचार पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के उद्देश्य से नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

डीसी ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन से सुशासन को बढ़ावा देना है। सुशासन सप्ताह के दौरान जनता की शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 19 से 24 दिसंबर तक रोजाना गांव के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और समस्याओं का निवारण किया जाएगा। सुशासन सप्ताह की रिपोर्ट सीपी ग्राम पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत गुड गवर्नेंस के अंतर्गत किए गए कार्यों का संकलन, प्रचार-प्रसार तथा उन्हें पोर्टल पर अपेक्षित फोटोग्राफ के साथ तथा सार्वजनिक शिकायतों के समाधान की सफलता की कहानियों संबंधित विभागों द्वारा पोर्टल पर अपलोड भी की जाएगी।

डीसी ने बताया कि सीएम विंडो और एसएमजीटी पर ग्रामीण क्षेत्र से आई शिकायतों का भी जल्द से जल्द समाधान करना है। ग्रामीण क्षेत्र के अंत्योदय केंद्रों में आने वाली शिकायतों का समाधान भी दिए गए समय अनुसार किया जाएगा। सभी विभाग विशेष शिविरों में निपटाए गए सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, सीपी ग्राम पोर्टल में निपटाए गए सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, राज्य पोर्टलों पर निपटाए गए सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ी गई सेवाओं की संख्या, निपटाए गए सेवा वितरण आवेदनों की संख्या को दैनिक रूप से गुड गवर्नेंस पोर्टल पर अपलोड कराएंगे।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने शीतलहर (कोल्ड वेव) से बचाव को लेकर की विशेष एडवाइजरी जारी

सर्दी से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील

सुरेन्द्र पांचाल भेदी नजर

करनाल, 21 दिसंबर- शीतलहर (कोल्ड वेव) से बचाव को लेकर सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त उत्तम सिंह ने जारी विशेष एडवाइजरी के तहत आम नागरिकों से शीत लहर व सर्दी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की। इन दिनों जिले में शीतलहर चल रही है। इसी के मद्देनजर उपायुक्त ने कहा कि हम थोड़ी सी सावधानी बरतकर पाले से बच सकते हैं।

उपायुक्त ने कहा कि कि शीतलहर व सर्दी से बचने के लिए मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो/टीवी/समाचार पत्र जैसे सभी मीडिया प्रकाशन का ध्यान रखें ताकि यह पता चल सके कि आगामी दिनों में शीत लहर की संभावना है या नहीं। सर्दियों लिए पर्याप्त कपड़ों का स्टॉक करें। घर में ठंडी हवा के प्रवेश रोकने के लिए दरवाजों तथा खिड़कियों को ठीक से बंद रखें। फ्लू, नाक बहना/ भरी नाक या नाक बंद जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना आमतौर पर ठंड में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती हैं। इसलिए इस तरह के लक्षणों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें तथा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों या डॉक्टर से परामर्श करें। जितना हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा, बारिश, बर्फ के संपर्क में आने से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें। गर्म कपड़े पहनें ताकि ठंड बिल्कुल न लगे। तंग कपड़े खून के बहाव को रोकते हैं, इनसे बचें। खुद को सूखा रखें और पानी में भीगने से बचें। शरीर की गर्माहट बनाए रखने के लिए अपने सिर, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से ढक कर रखें। गीले कपड़े तुरंत बदलें। हाथों में दस्ताने रखें। फेफड़ों को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करें। सिर पर टोपी या मफलर पहने, स्वास्थ्य वर्धक भोजन लें।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। गर्म तरल पदार्थ नियमित रूप से पीएं, इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहेगी। बुजुर्ग लोगों, नवजात शिशुओं तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते हैं, विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हाल चाल पूछते रहें। जरूरत के अनुसार ही रूम हीटर का प्रयोग करें, लेकिन रूम हीटर के प्रयोग के दौरान पर्याप्त हवा निकासी का प्रबंध रखें। बंद कमरों में कोयले को जलाना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस पैदा करती है। शराब का सेवन न करें, यह शरीर की गर्माहट को कम करता है, यह खून की नसों को पतला कर देता है, विशेषकर हाथों से जिसमें हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों को दिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश

सर्दी के दौरान जरूरतमंद व असहाय लोगों की मदद को लेकर उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों को जरुरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त, सीईओ डीआरडीओ, सभी एसडीएम, सीटीएम, सिविल सर्जन, तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार, जिला रेडक्रॉस सोसायटी सचिव तथा शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण करें और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सामाजिक संगठनों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं से सहयोग लें। इसके साथ ही उपायुक्त ने कृषि तथा किसान कल्याण विभाग व पशुपालन विभाग को भी निर्देश दिए है कि वे किसानों, पशुपालकों को सर्दी के मौसम में फसलों, पशुओं आदि के बचाव को लेकर जागरूक करें।

उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को जागरूक करें कि शीत लहर और कड़ाके की सर्दी से फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे काली जंग, सफेद जंग, लेट ब्लाइट आदि रोग हो सकते हैं। शीतलहर अंकुरण, वृद्धि, फूल, उपज और भंडारण जीवन में कई तरह की शारीरिक रुकावटें भी पैदा करती है। उन्होंने पशु डॉक्टरों को निर्देश दिए कि पशुओं को सर्दी से बचाव व उनकी देखभाल के लिए पशु पालको को जागरूक करें। शीत लहर के दौरान पशुओं और पशुधन को जीवन यापन के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। रात के समय पशुओं के आवास को सभी तरफ से ढक़ दें ताकि ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क में आने से बचा जा सके। पशुधन और मुर्गी को ठंड के मौसम से बचाव के लिए उन्हें अंदर रखें। सर्दियों के दौरान पशुओं के नीचे सूखे भूसे जैसी कुछ बिस्तर सामग्री डालें। पोल्ट्री में, पोल्ट्री शेड में कृत्रिम प्रकाश प्रदान करके चूजों को गर्म रखें।

डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने रैन बसेरे में व्यवस्थओं का लिया जाजया

- ठहर रहे असहायों व निराश्रितों से बातचीत कर मिल रही सुविधाओं के बारे में ली जानकारी
- सामाजिक संस्थाओं ने कंबल वितरण के साथ-साथ की भोजन, पानी की व्यवस्था

पलवल, । जिला में सर्दी के मौसम के दृष्टिगत असहायों व निराश्रितों को आश्रय दिलाने के लिए उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ स्वयं रात्रि के समय प्रशासन के अधिकारियों व विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ खुले में सोने वाले असहायों व निराश्रित व्यक्तियों की सुध ले रहे हैं। डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने एसडीएम पलवल ज्योति सहित अन्य अधिकारियों के साथ गुरूवार देर रात रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर खुले में सो रहे जरूरतमंद लोगों को रेलवे स्टेशन पर बनाए गए अस्थाई रैन बसेरे में आश्रय दिलवाकर और उनके लिए कंबल के साथ-साथ भोजन-पानी की व्यवस्था करवाकर संजीदगी का परिचय दिया।

डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जिला प्रशासन ठंड के मौसम में निराश्रितों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में निराश्रितों को रैन बसेरों में आश्रय दिलाने के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसके लिए सामाजिक व धार्मिक संगठनों के लोग भी आगे आकर इनके लिए गद्दे, कंबल देने के साथ भोजन व चाय-पानी की व्यवस्था भी कर रहें है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। रैन बसेरों में सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से असहाय व निराश्रित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में कंबल, बिस्तर और गद्दों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भोजन, चाय-पानी के भी उचित प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। इस अवसर पर 11 तारीख परिवार के प्रधान व पप्पन प्लाजा होटल्स के डायरेक्टर अमन शर्मा, साथ में उनके बेटे आद्विक शर्मा, छोटे भाई अर्जुन शर्मा, अनुज शर्मा, संदीप शर्मा द्वारा कंबल वितरण किए गए। इसके अलावा महाकाल रसोई संस्था की तरफ से रैन बसेरों में भोजन की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। इस मौके पर जिला रैडक्रॉस सोसाइटी से अंजलि भयाना, रामनिवास, सूर्यकांत, हरबंस, मेहर चंद और समाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि सुषमा राणा, नीरज दहिया, शिव कुमार आदि मौजूद रहे।

प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन प्रतिभागियों को रक्तदान, हेपेटाइटिस बी.,सी., मलेरिया, थेलेसिमिया बीमारी के बारे में दी जानकारी

शिविर के पांचवे दिन जिला रैडक्रॉस चेयरपर्सन अनु वशिष्ठ मुख्यातिथि के रूप में करेंगी शिरकत

पलवल। जिला रैडक्रॉस सोसायटी पलवल उपायुक्त एवं अध्यक्ष डा. हरीश कुमार वशिष्ठ के कुशल मार्गदर्शन व महासचिव भारतीय रैडक्रॉस सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ डा. मुकेश अग्रवाल से प्राप्त निर्देशानुसार एवं सचिव बिजेन्द्र सौरोत सचिव के नेतृत्व में पांच दिवसीय जिला स्तरीय जूनियर रैडक्रॉस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 21 दिसंबर 2024 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कारना में कर रही है, जिसमें 18 विद्यालयों से 112 विद्यार्थियों व 19 जूनियर रैडक्रॉस काउंसलर द्वारा भाग लिया गया है। 21 दिसंबर 2024 को पांच दिवसीय शिविर के समापन अवसर पर जिला रैडक्रॉस सोसायटी पलवल की चेयरपर्सन अनु वशिष्ठ मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगी।

प्रशिक्षण शिविर के आज चौथे दिन डा. प्रशांत गुप्ता ने प्रतिभागियों को रक्तदान, हेपेटाइटिस बी.,सी., मलेरिया, थेलेसिमिया आदि बीमारियों व उनके बचाव के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर उनके सहयोगी संतराम एवं प्रीती भी उपस्थित रहे। इसके उपरांत नागरिक अस्पताल पलवल से आई टीम में दन्त चिकित्सक डा. मनीष ने प्रतिभागियों को दांत साफ रखने तथा दांतों से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया और नेत्र सर्जन डा. महिमा ने प्रतिभागियों को अपनी आंखो की सुरक्षा व अपने आस-पास साफ-सफाई रखने व अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने बारे जागरूक किया। इसके उपरांत सभी प्रतिभागियों की स्वास्थ्य की जांच करवाई गई। जिला प्रशिक्षण अधिकारी नीतू सिंह ने सभी रैडक्रॉस जूनियर स्वयं सेवको को बेहोशी, फ्रैक्चर, घायलों को मौके पर ट्रांसपोर्ट करने की विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। तत्पश्चात विद्यार्थियों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन करके कार्यक्रम का समापन किया गया। शिविर के चौथे दिन के सफल आयोजन में विभिन्न विद्यालयों के काउंसलरों व जिला रैडक्रॉस सोसाइटी पलवल की लेखाकार अंजलि भयाना, भोजपाल, सूर्यकांत, भूरी, आरती मौर्या आदि का अहम योगदान रहा।

एमडीयू पीजी/लॉ परीक्षाएं दिसंबर-2024 के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

-परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू

-फोटो स्टेट मशीन और अनाधिकृत व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर लगाया प्रतिबंध

पलवल, 20 दिसंबर। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अंतर्गत गत 18 दिसंबर से प्रारंभ हुई महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की पीजी/लॉ परीक्षाएं दिसंबर-2024 के संबंध में सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला क्षेत्र में स्थापित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि के भीतर फोटोस्टेट मशीनों, जेरॉक्स मशीनों, फैक्स मशीनों, डुप्लिकेटिंग मशीनों आदि के संचालन और इस तरह की अन्य नकल/प्रेषण गतिविधियों (परीक्षा के दिन सुबह के सत्र के लिए सुबह 08-30 बजे से दोपहर 12-30 बजे तक और शाम के सत्र के लिए दोपहर 01 बजे से शाम 05 बजे तक अथवा परीक्षा समय पूरा होने तक) पूर्णतय प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा परीक्षा परिसर में परीक्षा के दिन से लेकर परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक अनधिकृत व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही/सभा और आग्नेयास्त्र, तलवारें, गदा, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू आदि जैसे आपत्तिजनक हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले म्यान वाले किरपान को छोडक़र) लेकर चलने पर भी पाबंदी लगाई है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश परीक्षाएं पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे। पुलिस अधीक्षक पलवल इन आदेशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। इन आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा-233 और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिला अटॉर्नी कार्यालय ने आयोजित किया नए आपराधिक कानूनों पर शानदार जागरूकता सेमिनार

राजकीय विद्यालयों में हुआ आयोजन, सभी को नए आपराधिक कानूनों के बारे में किया जागरूक

पलवल, 20 दिसंबर। जिला अटॉर्नी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को भारत के नए आपराधिक कानूनों पर एक शानदार और जानकारीपूर्ण जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजकीय विद्यालयों में हुआ, जिसमें बामनीखेड़ा, फुलवाडी और बहरौला के शिक्षक, छात्र और ग्रामीण समुदाय ने भाग लिया। लोगों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूक करना और इन कानूनों से समाज में बदलाव लाया जा सकता है आदि समझाना इस सेमिनार का उद्देश्य रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अटॉर्नी विकास शर्मा ने की तथा सहायक जिला अटॉर्नी नवदीप सिंह और बृज मोहन ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। एसएचओ थाना सदर भी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से उपस्थित श्रोताओं को गहरी जानकारी दी और उन्हें कानून की प्रणाली से जोडऩे का प्रयास किया। जिला अटॉर्नी विकास शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि समाज में न्याय और संतुलन स्थापित करना है। न्याय को केंद्र में रखते हुए अब अपराधों के खिलाफ अधिक सटीक और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जीरो एफआईआर और डिजिटल साक्ष्य जैसे बदलाव न्याय प्रणाली को न केवल मजबूत करेंगे, बल्कि पीड़ितों को भी तुरंत राहत प्रदान करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय मिले और यह कानून इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सहायक जिला अटॉर्नी बृज मोहन ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल कानून लागू करना नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदाय को इस बारे में जागरूक करना है, ताकि लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपराधों की रिपोर्टिंग में सहयोग कर सकें। यह बदलाव एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम है। सहायक जिला अटॉर्नी नवदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में साइबर अपराध तेजी से बढ रहे हैं। अब नए कानूनों में डिजिटल साक्ष्य को पूरी मान्यता दी गई है। ईमेल, व्हाट्सएप चैट, और सीसीटीवी फुटेज जैसे डिजिटल साक्ष्य अब न्याय प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं, जो साइबर अपराधों को पकडऩे में सहायक होंगे। कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सवाल पूछे और अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए। ग्राम पंचायतों के सदस्यों ने भी इस सेमिनार में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई। उन्होंने अधिकारियों से नए कानूनों को गांवों में लागू करने और वहां के लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने यह भी सांझा किया कि वे अपने गांवों में अपराधों की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे और सभी संबंधित अधिकारियों से सहयोग की उम्मीद जताई। कार्यक्रम के समापन के दौरान जिला अटॉर्नी विकास शर्मा ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे समाज में न्याय और सुरक्षा का समन्वय एक स्वस्थ और मजबूत समाज की नींव रखता है। हमें इन नए कानूनों का पालन करना चाहिए और अपने समुदाय को अपराध से मुक्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।इस जागरूकता सेमिनार ने न केवल कानून के बारे में जानकारी दी, बल्कि लोगों को यह भी समझाने का अवसर प्रदान किया कि नए आपराधिक कानून समाज को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बना सकते हैं।

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पीजी/लॉ परीक्षा के लिए जिला में स्थापित हुए परीक्षा केंद्र -जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ

पलवल। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की पीजी/लॉ परीक्षा दिसंबर-2024 के लिए जिला क्षेत्र में विभिन्न परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा केंद्रों में जीजीडीएसडी कॉलेज पलवल, राजकीय महाविद्यालय होडल, डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल, मां ओमबती डिग्री कॉलेज हसनपुर, महारानी किशोरी कन्या महाविद्यालय होडल, सरस्वती महिला महाविद्यालय होडल, रतन इस्टीट्यूट ऑफ टेकनॉलोजी एंड मैनेजमेंट गांव सेवली, सत्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेकनॉलोजी मित्रोल तथा रामानुजन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पलवल को शामिल किया गया है। परीक्षा दो सत्रों में प्रातकालीन तथा सायंकालीन सत्रों में आयोजित की जाएगी। सुबह के सत्र में परीक्षा प्रात- 08-30 बजे से दोपहर 12-30 बजे तक और शाम के सत्र में दोपहर 01 बजे से शाम 05 बजे तक यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएंगी। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जिला क्षेत्र में स्थापित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि के भीतर फोटोस्टेट मशीनों का प्रयोग करने तथा अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन पर पाबंदी लगाई है।

राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने हथीन नगर पालिका चुनाव तैयारियों को लेकर की बैठक

- बोले- महिलाओं के लिए बनाए जाएं पिंक बूथ
- दावे और आपत्तियों का निपटान समय पर करें अधिकारी

पलवल, 20 दिसंबर। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने शुक्रवार को जिला सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में हथीन में होने वाले नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि नगर निकाय चुनाव में मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए।

बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि मतदाता सूचियों के लिए पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। संबंधित अधिकारी दावे और आपत्तियों का निपटान समय पर करें। इस दौरान उन्होंने ईवीएम की मांग और उसके रख-रखाव के बारे में भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। इस बारे में पुलिस विभाग का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जाए कि सभी मतदान केंद्र सरकारी भवनों में स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि हथीन में होने वाले नगरपालिका चुनाव में महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ बनाए जाएं, जहां महिला कर्मचारी ही ड्यूटी होना सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिला उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि नगरपालिका हथीन में होने वाले चुनाव की तैयारियों का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया जा रहा है। बैठक में उपमंडल अधिकारी हथीन संदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हथीन में कुल 14 वार्ड में नगरपालिका चुनाव होने है। पुनरीक्षण अभियान के तहत 23 दिसंबर तक मतदाताओं की दावे और आपत्तियां निर्धारित फार्म में लेने का कार्य हथीन लघु सचिवालय स्थित उपमंडल कार्यालय में किया जा रहा है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रूम बनाने सहित अन्य चुनाव संबंधित तैयारियां भी समय रहते पूरी करवा ली जाएंगी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा व नायब तहसीलदार चुनाव कुलदीप आदि मौजूद रहे।